

फैमिली ऑफ डिसेबल्ड (एफ.ओ.डी.)

फोन नं. : 011-41570140, 45129935
B-1/500, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

उन्नति पुनर्वास केन्द्र

विकलांगजनों के लिए कल्याणार्थ पुनर्वास केन्द्र
प्लॉट नं. 28-29, श्याम विहार, फेज-1,
नजफगढ़, नई दिल्ली-110043
फोन : 9560693394

**FAMILY OF DISABLED (FOD)**

B-1/500, Janak Puri, New Delhi-110058
Tel. : 011-41570140, 45129935

UNNATI

FOD's Rehabilitation Centre
For people with disabilities
Plot No. 28-29, Shyam Vihar Phase-1,
Najafgarh, New Delhi-110043
Tel. : 9560693394

E-mail : contact@familyofdisabled.org, unnati@familyofdisabled.org
Web : www.familyofdisabled.org

निम्न आय वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय (ऋण) सहायता के लिए आवेदन पत्र

Application Form for Financial Assistance (Loan) in Self-Employment Of Economically Weak Disabled Persons

REFERRED / SUPPORTED BY :

ARS No.:

1. नाम :

Name :

2. आयु व लिंग :

Age and Sex :

3. पिता/पति का नाम :

Father/Husband's Name :

4. क. वर्तमान पता एवं फोन नं. :

Current Address and Tel. No. :

ख. स्थायी पता एवं फोन नं. :

Permanent Address and Tel. No. :

5. कार्य स्थल पता एवं फोन नं. :

Work Place Address & Tel. No. :

6. विवाहित या अविवाहित :

Marital Status :

7. परिवार के सदस्यों की संख्या :

Number of Family Members :

9. आवेदक व परिवार की कुल मासिक आय :

Monthly Income of Family :
(Self + Other Sources)

11. शैक्षिक व तकनीकी योग्यता :

Educational & Technical Qualification :

12. विकलांगता का प्रकार तथा अवधि

Nature & Duration of Disability :

13. क्या आप किसी सहायक उपकरणों का प्रयोग करते हैं ?

Do you use any aid/appliances :

14. रोजमर्रा के कामकाज में निर्भरता का स्तर :

Level of dependency in activities of daily living :



8. परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

Number of Earning Members in the Family
(See Details on Reverse Side)

10. आश्रित सदस्यों की संख्या

Number of dependent members :

16. किस प्रकार का कार्य करने में रुचि है Type of Jobs interested in :

- I)
- II)

17. अपने क्षेत्र से दो व्यक्तियों का साक्ष्य दें (आवेदक से संबंध न हो) Two references from your area (not related to you)

क्र. सं.	नाम / Name	व्यवसाय / Occupation	पता एवं फोन नं. / Address & Tel. No.

18. घर अपना / किराये का, दिल्ली में रहने की अवधि इत्यादि :

House owned/rented

19. आप किस प्रकार से बचत करते हैं ?

Your mode of saving

20. कोई अन्य सूचना Any other information :

प्रार्थी के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

Applicant Signature / Thumb Impression

नोट : अवश्य संलग्न करें-विकलांगता प्रमाण पत्र तथा राशन / आधार / UDID कार्ड की प्रति और दो अंभी की पूरी फोटो (पोस्टकार्ड साइज)

Note : Please attach a copy of disability certificate and ration card alongwith two full recent photographs

..... For office use only केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

1) Filled Form Submitted On :-

2) Verification Done On / By :-

3) Conclusion :-

4) Business Launched / Expanded On / By :-

फैमिली ऑफ डिसेबल्ड (एफ.ओ.डी.)

फोन नं. : 011-41570140, 45129935
B-1/500, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

उन्नति पुनर्वास केन्द्र

विकलांगजनों के लिए कल्याणार्थ पुनर्वास केन्द्र
प्लॉट नं. 28-29, श्याम विहार, फेज-1,
नजफगढ़, नई दिल्ली-110043
फोन : 9560693394



FAMILY OF DISABLED (FOD)

B-1/500, Janak Puri, New Delhi-110058
Tel. : 011-41570140, 45129935

UNNATI

FOD's Rehabilitation Centre
For people with disabilities
Plot No. 28-29, Shyam Vihar Phase-1,
Najafgarh, New Delhi-110043
Tel. : 9560693394

E-mail : contact@familyofdisabled.org, unnati@familyofdisabled.org
Web : www.familyofdisabled.org

फैमिली ऑफ डिसेबल्ड (FOD) एक गैर सरकारी संस्था है जो निम्न आय वर्ग के विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार करने में आर्थिक रूप से ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराती है, जिससे विकलांग जन स्वयं आत्म निर्भर बने तथा स्वावलंबनपूर्वक अपना जीवन जीयें। इस योजना को 'अपना रोजगार स्कीम' (ARS) के नाम से चलाया जा रहा है। इस योजना (ARS) के द्वारा लाभ प्राप्त करने से पूर्व निम्न दिशा-निर्देशों को भी लाभार्थी अवश्य ध्यान में रखें।

ऋण प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

- 1) आर्थिक ऋण प्राप्तकर्ता कृपया अच्छी तरह समझ लें कि जो धनराशि उसे (ARS) के अन्तर्गत उसके रोजगार के लिए FOD अर्च करेगी, वह पूरी तरह वापिस करनी है। यह ब्याजमुक्त ऋण है इसे अनुदान कतई न समझा जाए।
- 2) यह ऋण आपको रोजगार हेतु आवश्यक उपकरण या उत्पाद खरीदने के रूप में दिया जायेगा, नकद रकम के रूप में नहीं।
- 3) FOD से ऋण प्राप्त होने से जितनी धनराशि का उत्पाद प्राप्तकर्ता को खरीदवाया गया है उसकी सूचना संस्था में फोन के माध्यम से अवश्य दें।
- 4) जितनी धनराशि रोजगार के लिए आपको व्यय करने के लिए मिलेगी उतनी ही आपको चुकानी है।
- 5) दिये गए ऋण को किश्त के रूप में भुगतान किया जायेगा। किश्तें एक वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। न्यूनतम किश्त की गई धनराशि का 10 प्रतिशत प्रति माह होगा।
- 6) ऋण प्राप्तकर्ता के रोजगार आरम्भ करने की तिथि से ठीक 1 माह पश्चात किश्तों का भुगतान करना अनिवार्य है।
- 7) ऋण का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी ऋण प्राप्तकर्ता की है। वह निम्न माध्यमों के द्वारा ऋण का भुगतान कर सकता है।
 1. UPI / बैंक चेक द्वारा, जो की FAMILY OF DISABLED को देय होगा।
 2. स्वयं कार्यालय में आकर।
 3. अपने सम्पर्क के किसी व्यक्ति को कार्यालय में भेज कर जमा करा सकते हैं।
- 8) FOD प्रत्येक किश्त के भुगतान के प्रमाण स्वरूप ऋण प्राप्तकर्ता को हर बार किश्त की रसीद देती है। किसी भी FOD कर्मचारी के पास रसीद न होने की स्थिति में किश्त न देकर सीधा कार्यालय में फोन कर के पुष्टी कर लें। बिना रसीद के कोई भी किश्त मान्य नहीं होगी।
- 9) समय पर भुगतान न होने अथवा उपरोक्त माध्यमों द्वारा किश्त न पहुँचने की स्थिति में FOD के कर्मचारी को भेज कर किश्त एकत्रित की जाएगी, जिसका यात्रा पर होने वाला अर्च ऋण प्राप्तकर्ता को देना होगा।
- 10) भेजी गई किसी भी किश्त की पुष्टि कार्यालय में दो दिन पश्चात की जा सकती है।
- 11) सभी किश्तों की रसीद या बैंक स्लिप सम्भाल कर अवश्य रखें क्योंकि ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण पुरा होने की स्थिति में इन्हीं रसीदों के द्वारा ऋण का पुरा भुगतान माना जाएगा।
- 12) नियत अवधि तक या उससे पूर्व ऋण की पूरी अदायगी होने पर, आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्तकर्ता को पुनः ऋण देने के विषय में भी विचार किया जा सकता है।
- 13) रोजगार करते समय पूरी तरह ऋण अदा न होने तक यदि आपके कार्यस्थल या निवास स्थान में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना FOD कार्यालय में तुरन्त दें।
- 14) अपना रोजगार स्कीम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी FOD कार्यालय में स्वयं आकर, किसी को भेज कर अथवा टेलीफोन पर की जा सकती है।
- 15) FOD को ऋण प्राप्तकर्ताओं से केवल इतनी ही अपेक्षा है कि संस्था द्वारा बनाये गये सभी नियमों का गम्भीरता से पालन करें तथा अपने व परिवार के वर्तमान तथा भविष्य को उज्जवल बनाने में निष्ठा पूर्वक व ईमानदारी से कार्य करें।
- 16) जब कोई FOD का कर्मचारी आपसे मिलने आये, तो आप उसे अपनी वार्ता, अपने रोजगार व्यक्तिगत/पारिवारिक उपलब्धियों व समस्याओं तक सीमित रखें तथा उनके अतिथि सत्कार पर अपव्यय कदापि न करें।
- 17) संस्था के पदाधिकारी द्वारा मुझे अपना रोजगार स्कीम से संबंधित सभी नियमों को अच्छी तरह समझा दिया गया है यदि मैं इन नियमों का सही से पालन नहीं कर पाता या किश्तें समय पर नहीं जमा कराता तो संस्था मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।